



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 08.10.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	हीमपुर दीपा	विपिन पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2	कोतवाली देहात	गोला उर्फ सफीक पुत्र मुन्ने निवासी ईदगाह के पास कस्बा थाना नहटोर जिला बिजनौर
3	स्योहारा	अकवर अली पुत्र अल्लादिया निवासी ग्राम बमनौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4	कोतवाली नगर	नवाब पुत्र शरीफ निवासी मौहल्ला चाहशीरी बी 14 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर



थाना हीमपुर दीपा



थाना कोतवाली देहात



थाना स्योहारा



थाना कोतवाली नगर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर

दिनांक 08.10.2024

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 346/2024 धारा 137(2)/65(1) बी0एन0एस0 व मु0अ0सं0 390/2024 धारा 318(4) बी0एन0एस0 में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.10.2024 को वादी श्री मौ0 रिजवान पुत्र अबरार अहमद निवासी मौ0 शहीद नगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 05.10.2024 को 02 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा वादी की माता जी के साथ धोखाधडी कर कपटपूर्वक उनके कानों से कुण्डल निकाल कर ले गये । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 390/2024 धारा 318(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया ।



दिनांक 14.09.2024 को वादिनी श्रीमति राखी पत्नी अनुज कुमार निवासी ग्राम फैजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा वादिनी के बैग को ब्लैड से काट कर बैग में रखा गले का हार, एक जोडी झुमकी, एक ओम व 3500 रुपये चोरी कर लिये गये । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 390/2024 धारा 318(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया ।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण इकबाल पुत्र कालू निवासी मौ0 छंगा दरवाजा थाना अमरोहा कोतवाली जनपद अमरोहा व रियासत पुत्र शब्बीर निवासी मौ0 मुरादाबादी गेट रेता थाना अमरोहा कोतवाली जनपद अमरोहा के नाम प्रकाश में आये ।

कार्यवाही –

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में वांछित अभियुक्त इकबाल पुत्र कालू निवासी मौ0 छंगा दरवाजा थाना अमरोहा कोतवाली जनपद अमरोहा व रियासत पुत्र शब्बीर निवासी मौ0 मुरादाबादी गेट थाना अमरोहा कोतवाली जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

- 1.इकबाल पुत्र कालू निवासी मौ0 छंगा दरवाजा थाना अमरोहा कोतवाली जनपद अमरोहा
- 2.रियासत पुत्र शब्बीर निवासी मौ0 मुरादाबादी गेट थाना अमरोहा कोतवाली जनपद अमरोहा

बरामदगी का विवरण-

- 1.मु0अ0सं0 390/2024 से संबंधित कुण्डल ।
- 2.मु0अ0सं0 356/2024 से संबंधित चोरी किये गये सामान की बिक्री से प्राप्त कुल 9850 रुपये नकदी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 2.का0 1287 नीरज पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 3.का0 1956 आर्यन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 4.का0 1346 विजयपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना स्योहारा

दिनांक 08.10.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 486/24 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को चोरी की गई नगदी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.10.2024 को वादी एहसान अहमद पुत्र अहमद हसन निवासी मौ0 तराई मिल का चौराहा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि वह पीएनबी बैंक से एक लाख रुपये का कैश निकालकर वापस अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में मिले दो व्यक्तियों ने बातों में उलझाकर उसकी जेब से 50,000/- रुपये की नगदी चोरी कर ली गई। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 486/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 02 अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया।



अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त बरकत अली पुत्र शाकिर अली निवासी झब्बू का नाला थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद का नाम प्रकाश में आया।



कार्यवाही –

थाना स्योहारा पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त बरकत अली पुत्र शाकिर अली निवासी झब्बू का नाला थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद को चोरी किये गए 27,000/- रुपये की नगदी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो पेशन नं0 UP21BH-433 सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(20) बीएनएस की वृद्धि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बरकत अली पुत्र शाकिर अली निवासी झब्बू का नाला थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद

बरामदगी विवरण-

चोरी की गई 27,000/- रुपये की नगदी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो पेशन नं0 UP21BH-433 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- व0उ0नि0 श्री सुरजीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- का0 607 नरेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- का0 2503 रवि कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 08.10.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैर-इरादतन हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.07.2017 को वादी श्री महताब पुत्र अबरार खां निवासी ग्राम उमरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- तन्जीम उर्फ भूरे पुत्र मुन्ने खां 2- मुन्ने खां पुत्र सुलेमान निवासीगण उमरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ घर में घुसकर मारपीट की गयी, जिसमें वादी के भाई सहबाज की मृत्यु हो गयी। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 144/2017 धारा 304/34,323/504/452/336 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 08.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, नगीना बिजनौर द्वारा उपरोक्त अभियोग में 02 अभियुक्तगण 1- तन्जीम उर्फ भूरे पुत्र मुन्ने खां 2- मुन्ने खां पुत्र सुलेमान निवासीगण उमरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

- 1- तन्जीम उर्फ भूरे पुत्र मुन्ने खां निवासी ग्राम उमरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
- 2- मुन्ने खां पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम उमरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना हीमपुर दीपा

दिनांक 08.10.2024

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किये गए सामान सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.10.2024 को वादी श्री प्रकाशवीर भगत जी निवासी बाबा मथुरादास आश्रम ग्राम सुदनीपुर रीवटी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा रात्रि के समय आश्रम से एक साइकिल, नगदी (सिकके व नोट), एक टिल्लु पम्प, सबमर्सिबल का केबल आदि सामान चोरी कर लिया गया । तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 148/24 धारा 303(2) बीएनएन बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त शाहिद उर्फ गिद्धा पुत्र इलियास नि0 ग्राम अकबरपुर तिगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही –

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शाहिद उर्फ गिद्धा पुत्र इलियास निवासी ग्राम अकबरपुर तिगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 साइकिल, 341 रूपये की नगदी (सिकके व नोट) व एक स्टार्टर व केबिल तार वजन 1.5 किलो बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहिद उर्फ गिद्धा पुत्र इलियास निवासी ग्राम अकबरपुर तिगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

01 साइकिल, 341 रूपये की नगदी (सिकके व नोट) व एक स्टार्टर व केबिल तार वजन 1.5 किलो

अभियुक्त शाहिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 35/24 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

2. मु0अ0सं0 148/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना हीमपुर दीपा बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
- उ0नि0 श्री कुलवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
- का0 716 देवकरन थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना धामपुर

दिनांक 08.10.2024

थाना धामपुर पुलिस ने 03 अभियुक्तों को छीने गए 02 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.09.2024 को वादिनी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि घर जाते समय मिल रोड के पास पीछे से तीन अज्ञात बाइक सवार लडके आये व वादिनी का मोबाइल फोन छीनकर भाग गए । तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 460/24 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 05.10.2024 को वादी उजैर पुत्र आजम निवासी पुराना धामपुर जनपद बिजनौर

ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि पुराना धामपुर चुंगी के पास 03 अज्ञात बाइक सवार लडको द्वारा वादी से उसका एप्पल कम्पनी का आईफोन एक्सआर छीनकर भाग गए । तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 471/24 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त दोनो अभियोगो की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान तीन अभियुक्तगण 1. राहुल कुमार पुत्र सन्दीप कुमार निवासी ग्राम शेखपुरा की मढैयो थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2. रोहन कुमार पुत्र अशोक निवासी ग्राम शेखपुरा की मढैयो थाना धामपुर जनपद बिजनौर 3. भोला कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम शेखपुरा की मढैयो थाना धामपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश मे आये ।

कार्यवाही –

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनो अभियोगो में वांछित अभियुक्तगण 1. राहुल कुमार पुत्र सन्दीप कुमार निवासी ग्राम शेखपुरा की मढैयो थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2. रोहन कुमार पुत्र अशोक निवासी ग्राम शेखपुरा की मढैयो थाना धामपुर जनपद बिजनौर 3. भोला कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम शेखपुरा की मढैयो थाना धामपुर जनपद बिजनौर को छीने गए दो मोबाइल फोन 1.एप्पल आईफोन एक्सआर व 2.रियलमी नारजो तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो स्पेलन्डर प्लस नं0 UP20CP7756 सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर दोनो अभियोगो में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- राहुल कुमार पुत्र सन्दीप कुमार निवासी ग्राम शेखपुरा की मढैयो थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



2- रोहन कुमार पुत्र अशोक निवासी ग्राम शेखपुरा की मढैयो थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

3- भोला कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम शेखपुरा की मढैयो थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

छीने गए दो मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो स्पेलन्डर प्लस नं0 UP20CP7756

अभियुक्त राहुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 460/24 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

2. मु0अ0सं0 471/24 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

3. मु0अ0सं0 85/24 धारा 323/504/506 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त रोहन व भोला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 460/24 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

2. मु0अ0सं0 471/24 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

3. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

4. हेड का0 645 प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

5. का0 895 रणजीत मलिक थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

6. का0 1921 बादल पवार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 08.10.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 26,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 21.06.2020 को वादी श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम खैरुल्लापुर उर्फ शाहपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि नदी के कटान पर पेंचिंग का काम करने के दौरान अभियुक्त अंकुल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम खैरुल्लापुर उर्फ शाहपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने आपसी कहासुनी के दौरान वादी के भाई नवनीत के पेट में छूरी से वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 268/20 धारा 302/323/324/504/506 भादवि बनाम अंकुल उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 23.06.2020 को मु0अ0सं0 268/20 में वांछित अभियुक्त अंकुल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम खैरुल्लापुर उर्फ शाहपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल छूरी को बरामद किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 272/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 08.10.2024 को जिला एवं सत्र न्यायालय, जनपद बिजनौर द्वारा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त अंकुल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम खैरुल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व कुल 26,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- अंकुल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम खैरुल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर

दिनांक 08.10.2024

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 346/2024 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.09.2024 को वादी द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 01.09.2024 को अभियुक्त अमीनुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम अलीनगर पालनी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर अपने भाईयों रहमान व वहाजूदीन की सहायता से वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर घर में रखें एक लाख रुपये व सोने-चांदी के आभूषण सहित अपने साथ ले गया । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 346/2024 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 346/2024 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त अमीनुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम अलीनगर पालनी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमीनुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम अलीनगर पालनी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सुशील पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 2.का0 1800 गौरव कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 3.का0 622 सुशील कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना स्योहारा

दिनांक 08.10.2024

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 481/2024 धारा 103(1) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.10.2024 को वादी श्री सलीम पुत्र अकरम निवासी ग्राम मोरना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त चांदनी पुत्री गुफरान निवासी मौ0 तलाई सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र की हत्या कर दी गयी । इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 481/2024 धारा 103(1) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 08.10.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 481/2024 धारा 103(1) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त चांदनी पुत्री गुफरान निवासी मौ0 तलाई सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

चांदनी पुत्री गुफरान निवासी मौ0 तलाई सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.थाना प्रभारी श्री अवनीत मान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.का0 1694 पंकज थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.का0 1767 विवेक मुंडेरना थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 4.हे0का0 582 ममता रानी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 5.म0का0 277 कोमल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मण्डावर

दिनांक- 08.10.2024

थाना मण्डावर पुलिस द्वारा “ऑपरेशन क्लीन” के अन्तर्गत आबकारी अधिनियम के 20 मालों को किया गया नष्ट ।

कार्यवाही:-

जनपद में मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे “ऑपरेशन क्लीन” अभियान के क्रम में माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिजनौर के माल निस्तारण (नष्टीकरण) का आदेश प्राप्त कर मालों को नष्ट कराने की समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण कराने के उपरान्त पुलिस व प्रशासनिक टीम की उपस्थिति में थाना अफजलगढ पर आबकारी अधिनियम के कुल 20 मालों (कुल 361 लीटर देशी/कच्ची शराब) को नष्ट किया गया ।



माल निस्तारण टीम का विवरण:-

1. श्री महेंद्र सिंह सहायक अभियोजन अधिकारी जनपद बिजनौर ।
2. श्री हरिनारायण यादव आबकारी निरीक्षक जनपद बिजनौर ।
3. श्री माधो सिंह बिष्ट प्रभारी निरीक्षक थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
4. श्री लवी कुमार लिपिक, आबकारी विभाग जनपद बिजनौर ।
5. एच0एम0 86 अरविन्द कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
6. कोर्ट पैरोकार हे0का0 685 शक्ति सिंह थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक-08.10.2024

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.10.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त देव अग्रवाल पुत्र अतिन अग्रवाल निवासी मौ० सरायरफी कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध पिस्टल 32



बोर व मैंगजीन सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु०अ०सं० 536/24 धारा 3/9/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

देव अग्रवाल पुत्र अतिन अग्रवाल निवासी मौ० सरायरफी कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ०नि० धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर बिजनौर
- 2.का० 1191 आकाश कुमार थाना चांदपुर बिजनौर